प्रारूप – 30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने है।)

Annexure-II

FORM-II
(For Project Other than linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Uttarkashi

No...181/2019 Dated..02-01-2019

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Schedule Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **0.759** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **M/s Sunflag Power Ltd** (name of user agency) for **Construction Project Office & material store yard.** (Purpose for diversion of forest land) in Uttarkashi district falls within jurisdiction of **Kukreda (Khunigad)** Village(s) in. **Mori** tehsil.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.759 hectares of forest land proposed for diversion a copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha (s), Sub- Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **30.1 to 30.4** annexure.

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) The each concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/ processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Kukreda (Khunigad)** villages(s) is enclosed as annexure **30.3** to annexure **30.4**

(d) The discussion and decision on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it;

(f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl.: As above

(Dr. Ashish Kumar Chauhan)
District Magistrarate,
Uttarkashi.

प्रारूप – 30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने है।)

Annexure-II

FORM-II
(For Project Other than linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Uttarkashi

No...181/2019 Dated..02-01-2019

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Schedule Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **0.759** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **M/s Sunflag Power Ltd** (name of user agency) for **Construction Project Office & material store yard.** (Purpose for diversion of forest land) in Uttarkashi district falls within jurisdiction of **Kukreda (Khunigad)** Village(s) in. **Mori** tehsil.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.759 hectares of forest land proposed for diversion a copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha (s), Sub- Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **30.1 to 30.4** annexure.

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) The each concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/ processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Kukreda (Khunigad)** villages(s) is enclosed as annexure **30.3** to annexure **30.4**

(d) The discussion and decision on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it;

(f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl.: As above

(Dr. Ashish Kumar Chauhan)
District Magistrarate,
Uttarkashi.

प्रारूप – 30.1

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
District: Uttarkashi (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA).2006

A meeting of the district level committee of Uttarkashi district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Dr. Ashish Kumar Chauhan I.A.S District magistrate Uttarkashi on date 2-1-2019 at Uttarkashi in which application claiming rights in forest land area measuring 0.759 hect for the Construction of Project sit Office &Material Yard, forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Purola sub division** were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Uttarkashi

Dated...2-1-2019

(Dr. Ashish Kumar Chauhan)
District Magistrarate-cum –Chairman
District Level Committee
Uttarkashi.

प्रारूप-- 30.2

परियोजना का नाम — जनपद – उत्तरकाशी एंव देहरादून के अन्तर्गत प्रस्तावित हनोल–त्यूनी जल विद्युत परियोजना के लिए परियोजना कार्यालय, कर्मचारी आवास एवं निर्माण सामग्री के भण्डारण गृहों के निर्माण हेतु सनफ्लैग पावर लि0 को पूर्व में 10 वर्षो की अवधि के लिए दी गयी 0.759 हे0 आरक्षित वन भूमि की लीज का नवीनीकरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पुरोला
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण--पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, ...

उपखण्ड मोरी परिक्षेत्र के उन्तर्गत जनपद -- उत्तरकाशी एंव देहरादून के अन्तर्गत प्रस्तावित हनोल–त्यूनी जल विद्युत परियोजना के लिए परियोजना कार्यालय, कर्मचारी आवास एवं निर्माण सामग्री के भण्डारण गृहों हेतु देवता रेंज की खूनीगाड बीट के भासला ब्लाक के कक्ष संख्या–1 किरोली तापड नामक स्थान में (0.759 हे0 आरक्षित वन भूमि, शुन्य हे0 सिविल एवं सोयम भूमि, शुन्य हे0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 0.759 हे0 वन भूमि) का सनफ्लेग पावर लि0 प्रयोक्त एजेन्सी के पक्ष में लीज नवीनीकरण किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पुरोला) की दिनांक 20/10/2018 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री पूर्ण सिह राणा उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपथिति निम्नानुसार है।

1-- श्री पूर्ण सिह राणा उपजिलाधिकारी पुरोला अध्यक्ष
2-- श्री आर0एन0 श्रीवास्तव उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य
3-- श्री मोनू कुमार गौतम सहायक समाज कल्याण अधिकारी मोरी/सचिव
4-- श्री मति केवला चौहान बी0डी0सी0 क्षेत्र पंचायत कुकरेड़ा सदस्य

उपजिलाधिकारी पुरोला
उप प्रभागीय वनाधिकारी पुरोला वन प्रभाग, पुरोला
M. GAUTAM सहायक समाज कल्याण अधिकारी वि0ख0-मोरी/उ0का0
केवला चौहान क्षेत्र पंचायत सदस्य, कुकरेड़ा वि0ख0 मोरी, जिला उत्तरकाशी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद उत्तरकाशी एंव देहरादून के अन्तर्गत प्रस्तावित हनोल–त्यूनी जल विद्युत परियोजना के लिए परियोजना कार्यालय, कर्मचारी आवास एवं निर्माण सामग्री के भण्डारण गृहों हेतु देवता रेंज की खूनीगाड बीट के भासला ब्लाक के कक्ष संख्या–1 किरोली तापड नामक स्थान में 0.759 हे0 वन भूमि सनफ्लेग पावर लि0 प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में लीज नवीनीकरण किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, श्री आर0 एन0 श्रीवास्तव द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बधी नियम 2006 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का वादा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड मोरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद – उत्तरकाशी एंव देहरादून के अन्तर्गत प्रस्तावित हनोल–त्यूनी जल विद्युत परियोजना के लिए परियोजना कार्यालय, कर्मचारी आवास एवं निर्माण सामग्री के भण्डारण गृहों निर्माण हेतु 0.759 हे0 वन भूमि सनफ्लैग पावर लि0 प्रयोक्त एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील – मोरी जनपद – उत्तरकाशी

प्रतिलिपिः-- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील – मोरी जनपद – उत्तरकाशी

उप जिलाधिकारी
पुरोला
जिला उत्तरकाशी

<u>प्रारूप– 30.3</u>

परियोजना का नाम — जनपद – उत्तरकाशी एंव देहरादून के अन्तर्गत प्रस्तावित हनोल–त्यूनी जल विद्युत परियोजना के लिए परियोजना कार्यालय, कर्मचारी आवास एवं निर्माण सामग्री के भण्डारण गृहों के निर्माण हेतु सनफ्लैग पावर लि0 को पूर्व में 10 वर्षो की अवधि के लिए दी गयी 0.759 हे0 आरक्षित वन भूमि की लीज का नवीनीकरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम ....कुकरेड़ा (खुनिगाड)
तहसील मारी , जिला उत्तरकाशी

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी एंव देहरादून के अन्तर्गत प्रस्तावित हनोल–त्यूनी जल विद्युत परियोजना के लिए परियोजना कार्यालय, कर्मचारी आवास एवं निर्माण सामग्री के भण्डारण गृहों निर्माण हेतु देवता रेंज की खूनीगाड बीट के भासला ब्लाक के कक्ष संख्या–1 किरोली तापड़ नामक स्थान में (0.759 हे0 आरक्षित वन भूमि, शून्य हे0 सिविल एवं सोयम भूमि, शुन्य हे0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 0.759 हे0 वन भूमि) का सनफ्लैग पावर लि0 प्रयोक्त एजेन्सी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कुकरेड़ा (खुनिगाड) द्वारा दिनांक 06/10/18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कुकरेड़ा (खुनिगाड) के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि सनफ्लेग पावर लि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/
ग्राम सचिव
मुहर सहित
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
विकास खण्ड मोरी

ह0/
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित
ग्राम पंचायत कुकरेड़ा
मोरी (उत्तरकाशी)

प्रारूप— 30.4

दिनांक 06/10/2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कुकरेड़ा (खुनिगाड़)

परियोजना का नाम — जनपद — उत्तरकाशी एंव देहरादून के अन्तर्गत प्रस्तावित हनोल—त्यूनी जल विद्युत परियोजना के लिए परियोजना कार्यालय, कर्मचारी आवास एवं निर्माण सामग्री के भण्डारण गृहों के निर्माण हेतु सनफ्लैग पावर लि0 को पूर्व में 10 वर्षो की अवधि के लिए दी गयी 0.759 हे0 आरक्षित वन भूमि की लीज का नवीनीकरण।

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर

(1)	दिवान —	दिवान
(2)	अनुज —	[signature]
(3)	सन्तराम —	संन्तराम
(4)	पुरणचन्द —	पुरन
(5)	साधुराम —	साधुराम
(6)	अजाडू —	अजाडू
(7)	बलबीर	बलबीर
(8)	जोतू —	जोतू
(9)	जयलाल —	जयलाल
(10)	चरकीराम	चरदीराम
(11)	सतपाल	सतपाल

[signature]
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम.. कुकरेड़ा...
विकास खण्ड मोरी

[signature]
प्रधान
ग्राम पंचायत कुकरेड़ा
वि० ख० मोरी (उत्तरकाशी)